कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल।

कार्यालय आदेश सं0 **245/2023** नैनीताल, दिनांकित **19/07/2023**

माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत द्वारा ***कर्नाटक राज्य बनाम शिवन्ना उर्फ टर्कारी शिवन्ना (2014) 8 एस.सी.सी. 913*** में दी गयी विधि व्यवस्था तथा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नैनीताल जिले के; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (अग्रेतर पोक्सो एक्ट अभिलिखित) से संबंधित व धारा 164 (5क) दण्ड प्रकिया संहिता में वर्णित मामलों में व संबंधित अपराध में पीड़ित महिला से संबंधित मामलों में; धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत बयान अंकित किये जाने व उचित रूप से कार्य संपादन हेतु निम्नांकित माह **अगस्त 2023 से दिसम्बर 2023** तक का कार्य विभाजन आदेश पारित किया जाता है। यथा;

क्षेत्र संपूर्ण जनपद नैनीताल के पोक्सो एक्ट से संबंधित मामलों में धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान अंकन हेतु कार्य विभाजन		
कम सं.	**माह**	**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
1.	अगस्त 2023	प्रथम अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
2.	सितम्बर 2023	सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
3.	अक्टूबर 2023	सीनियर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
4.	नवम्बर 2023	द्वितीय अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
5.	दिसम्बर 2023	प्रथम अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी

बहिरस्थ न्यायालय हल्द्वानी व रामनगर से संबन्धित धारा 164 (5क)दं0प्र0सं0 में निर्दिष्ट मामलो में धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान अंकन हेतु कार्य विभाजन		
क.सं.	**माह**	**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
1.	अगस्त 2023	प्रथम अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
2.	सितम्बर 2023	सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
3.	अक्टूबर 2023	सिनियर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
4.	नवम्बर 2023	द्वितीय अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
5.	दिसम्बर 2023	प्रथम अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी

जनपद मुख्यालय नैनीताल न्यायालयों से सम्बन्धित धारा 164 (5क) दं0प्र0सं0 में निर्दिष्ट मामलो में धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान अंकन हेतु कार्य विभाजन		
क.सं.	**माह**	**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
1.	अगस्त 2023	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल
2.	सितम्बर 2023	प्रथम अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल
3.	अक्टूबर 2023	द्वितीय अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल
4.	नवम्बर 2023	सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल।
5.	दिसम्बर 2023	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल

- इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल को संदर्भित किया जायेगा।
- उक्त ड्यूटी न्यायिक मजिस्ट्रेट (महिला अधिकारी) की अनुपस्थिति पर, जिला/स्टेशन में उक्त कार्य का संपादन बहिरस्थ न्यायालय हल्द्वानी व रामनगर एवं मुख्यालय नैनीताल हेतु उपरोक्त तालिका के अगले कम के न्यायिक अधिकारी (महिला अधिकारी) द्वारा कमानुसार किया जायेगा।
- यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत न्यायहित में उक्त निर्दिष्ट मामलों में यदि अपरिहार्य हो तो जिला/स्टेशन में उपस्थित किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट (महिला अधिकारी) के द्वारा धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के बयान अंकित किये जा सकते हैं।
- यदि अपरिहार्य स्थिति के कारण कोई महिला अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं हैं तब जो भी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला/स्टेशन पर उपस्थित होंगे, वह उक्त कार्य का संपादन करेंगे और बयान अंकित किये जाने के बाद उसे संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट नियमानुसार माननीय पोक्सो न्यायालय/संबंधित न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

दिनांक 19.07.2023

(रमेश सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।

<u>प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।</u>

1. माननीय जिला न्यायाधीश, महोदया नैनीताल।
2. श्रीमान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हल्द्वानी।
3. समस्त सम्बन्धित मा0 न्यायालय, जजशिप नैनीताल
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
5. संयुक्त निदेशक (अभियोजन) नैनीताल।
6. अध्यक्ष बार एसोसिएशन नैनीताल, हल्द्वानी व रामनगर।
7. एक प्रति गार्ड फाइल में रखी जाए।

दिनांक 19.07.2023

(रमेश सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।